



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 134-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026 (BHADRA 10, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 सितंबर, 2026

संख्या 4/56/2026-4C-I.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 39/ ह0अ0 16/1994/धा0 87/2026, दिनांक 30 जुलाई, 2026 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 39/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2026, दिनांक 30 जुलाई, 2026 में, पैरा 9 में, उप-पैरा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) कराधान और दरों की नई प्रणाली प्रथम अगस्त, 2026 से लागू होगी। संपत्ति के स्वामियों/अधिभोगियों को प्रथम अगस्त, 2026 से दो मास तक दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 की पुरानी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान करने का विकल्प होगा। दो मास पश्चात्, समस्त संपत्ति स्वामियों/अधिभोगियों को केवल इस नई अधिसूचना के अनुसार ही संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।

जिन संपत्ति स्वामियों/अधिभोगियों ने पहले ही संपत्ति कर का भुगतान कर दिया है, उन पर वित्तीय वर्ष 2026–2027 तक इस अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नई अधिसूचना का वित्तीय वर्ष 2025–2026 तक बकाया राशि और ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वित्तीय वर्ष 2025–2026 तक की बकाया राशि और ब्याज यथावत बना रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026–2027 से, समस्त संपत्तियों का संपत्ति कर निर्धारण केवल इस नई अधिसूचना के अनुसार ही किया जाएगा।”

अशोक कुमार मीणा,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 1st September, 2026

No. 4/56/2026-4C-I.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. S.O. 39/H.A 16/1994/S. 87/2026, dated the 30th July, 2026 with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. S.O. 39/H.A 16/1994/S. 87/2026, dated the 30th July, 2026, in para 9, for sub-para (d), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(d) The new system of taxation and rates shall be applicable with effect from 1st August, 2026. The property owners/occupiers of the property shall have the option to pay the property tax as per the old notification dated the 11th October, 2013 till two months counted with effect from 1st August, 2026. After two months, all the property owners/occupiers shall have to pay the property tax as per this new notification only.

The property owners/occupiers who have already paid the property tax shall have no impact from this notification till the financial year 2026-2027. This new notification shall have no impact on the arrears and interest till financial year 2025-2026 and the arrears and interest till financial year 2025-2026 shall remain as it is. From financial year 2026-2027, all the properties shall be assessed for property tax as per this new notification only.”

ASHOK KUMAR MEENA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.